

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

॥ आदेश ॥

श्री उपेन्द्र कुमार पासवान, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, बेगूसराय के द्वारा अवैध खनन में जप्त किये गये वाहनों के मामले में विभागीय दिशा-निर्देश/नियम का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से कार्य करने के कारण जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा पत्रांक 2820 दिनांक 06.12.2022 के आलोक में उनके विरुद्ध आदेश ज्ञापांक 686 दिनांक 05.01.2025 से विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

श्री उपेन्द्र कुमार पासवान दिनांक-28.02.2025 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-1893, दिनांक-14.06.2011 के आलोक में श्री उपेन्द्र कुमार पासवान के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी0) में सम्परिवर्तित समझा जाय।

ह0/-

(पीयूष कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक-प्र0-I-रा0(आ0)-12/2022-...../एम0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-संचालन पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना तथा खनिज विकास पदाधिकारी, बेगूसराय-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/ श्री उपेन्द्र कुमार पासवान, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, पता-गीत इन्कलेव, फ्लैट नं0-103, श्रीकृष्ण विहार कॉलोनी, बेउर, पटना-800002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-I-रा0(आ0)-12/2022-5205/एम0, पटना, दिनांक.17.09.25

प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

Gaminge
17/09/25
सरकार के अवर सचिव